बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–एन०एच०–25 / विविध–01–22 / 2014– पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी –सह–समाहर्त्ता,
बिहार।

विषयः– भू– अर्जन के मामले में पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित संरचनाओं (यथा– भवनों, इमारतों आदि) का मूल्यांकन पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं से कराने के संबंध में।

महाशय,

पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का मूल्यांकन करने संबंधी कार्य भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा की जाती है। उनके द्वारा ससमय मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में भू– अर्जन की कार्रवाई बाधित होती है तथा अभिलेख व्ययगत होने के साथ– साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी विपरीत असर पड़ता है। पथ निर्माण विभाग के अभियंता भी सिविल अभियंता ही होते है। इनके अभियंताओं के द्वारा एतद् संबंधी निरूपित प्रावधान के अन्तर्गत संरचनाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है।

2. नये भू– अर्जन अधिनियम, 2013 (RFCTLARR ACT- 2013) की धारा 29 में भूमि या इमारत से जुड़ी वस्तुओं के मूल्यांकन के अभिनिर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैः–

i) समाहर्त्ता इमारत तथा भूमि या इमारत, जिनका अधिग्रहण किया जाना है, से जुड़ी अन्य अचल संपत्तियों या आस्तियों का बाजार मूल्य अभिनिर्धारित करने में एक सक्षम अभियंता या सुसंगत क्षेत्र में किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है, जो उसके द्वारा आवश्यक समझा जाय।

ii) समाहर्त्ता अधिगृहित भूमि से जुड़े वृक्षों एवं पौधो के मूल्य का भी निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए कृषि, वानिकी, बागवानी, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में, या किसी अन्य क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है, जो उसके द्वारा आवश्यक समझा जाय।

iii) समाहर्त्ता भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त हुई खड़ी फसलों के मूल्य का आकलन करने के प्रयोजन के लिए कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है, जो उसके द्वारा आवश्यक समझा जाय।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं से भी भवनों एवं इमारतों का मूल्यांकन कार्य कराया जा सकता है, ताकि पथ निर्माण विभाग की

(कृ० पृ० उ०)

परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का मूल्यांकन ससमय पूरा कर भू– अर्जन कार्य को संपादित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह०/–
(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 210 दिनांक– 25.01.18

प्रतिलिपिः सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल सहित)/ सभी अधीक्षण अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित)/ सभी मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.1.18

प्रधान सचिव

25/1/18

8366